उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–2041/9–1–2022–74टी.ए./20
लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत अमिला, जिला मऊ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जनसामान्य से आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या–2441/9–1–2020–74टी0ए0/2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 को जारी करके तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण कार्यालय आदेश संख्या–1378/9–1–2022–74टी.ए./20, दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या–565 व 567/11–54(टी.)मुआरिखा, दिनांक 25 फरवरी, 1925 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत, आर्थिक महत्व और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये, भारत का संविधान के भाग–9 क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत अमिला, जिला मऊ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

(नगर पंचायत अमिला, जिला मऊ में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र)

(1) राजस्व ग्राम अमिला उत्तर दिशा की गाटा संख्या–563 से 836 तक
(2) राजस्व ग्राम अमिला पश्चिम दिशा की गाटा संख्या–1 से 349 तक, 1000 से 1211 तक, 2026 से 2188 तक
(3) राजस्व ग्राम अमिला पूर्व दिशा की गाटा संख्या–3000 से 4614 तक, 1355 से 1675 तक
(4) राजस्व ग्राम अमिला दक्षिण दिशा की गाटा संख्या–1676 से 2025 तक, 2189 से 2999
(5) राजस्व ग्राम चुम्मानार की गाटा संख्या–1 से 376 तक
(6) राजस्व ग्राम करपिया की गाटा संख्या–1 से 632 तक
(7) राजस्व ग्राम सरया मु0 हेमई की गाटा संख्या–1 से 499 तक
(8) राजस्व ग्राम हेमई की गाटा संख्या–1 से 695 तक

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक– 22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-2041/9-1-2022-74T.A./20, dated July22, 2022.

NOTIFICATION

No.-2041/9-1-2022-74T.A./20
Luckno; Dated: 22 July 2022

WHEREAS Government Notification no.-2441/IX-1-2020-74T.A./20 dated December 18, 2020 was issued and published in the Gazette with a view to invite objections and suggestions from general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Amila, District Mau as required by sub-section (1) section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916);

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Office Memorandum no.-1378/9-1-2022-74T.A./20 dated June 10, 2022.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of Notification no.-565 & 567/11-54(T.) Muarikha dated 25 February, 1925 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor having regard to the population of the area, the density of the Population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance and such other factors is pleased to include the areas specified in Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Amila, District Mau for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India.

SCHEDULE

(Area being included in Nagar Panchayat Amila, District Mau)

(1) Revenue Village Amila North Direction Gata Nos.-563 to 836
(2) Revenue Village Amila West Direction Gata Nos.-1 to 349, 1000 to 1211, 2026 to 2188
(3) Revenue Village Amila East Direction Gata Nos.-3000 to 4614, 1355 to 1675
(4) Revenue Village Amila South Direction Gata Nos.-1676 to 2025, 2189 to 2999
(5) Revenue Village Chummanar-1 to 376
(6) Revenue Village Karpiya-1 to 632
(7) Revenue Village Sarya Mu. Hemayi-1 to 499
(8) Revenue Village Hemayi-1 to 695

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary